



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24042026-272035
CG-DL-E-24042026-272035

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1945]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 22, 2026/वैशाख 2, 1948

No. 1945]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 22, 2026/VAISAKHA 2, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2026

का.आ. 2018(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, NH-709A पर स्थित गांव भिवानी लोहार, जिला भिवानी में 4 कनाल 15.5 मरला भूमि के अधिग्रहण के संबंध में, कृष्ण लाल बलियालीवाला चैरिटी ट्रस्ट बनाम हरियाणा राज्य (अपने कलेक्टर के माध्यम से) का निष्पादन मामला (EXE/160/2025); यह मामला सिविल अपील संख्या 336/2018 (शीर्षक: कृष्ण लाल बलियालीवाला चैरिटी ट्रस्ट और अन्य बनाम हरियाणा राज्य) में दिनांक 06.02.2025 को पारित निर्णय/डिक्री के अनुपालन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH 709 A पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	जिला राजस्व अधिकारी (डीआरओ)	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH 709 A के कि.मी 2.35 से कि.मी 3.93 तक	हरियाणा	भिवानी	भिवानी	1 भिवानी लोहड़

[फा. सं. H.O letter no. 153-NH-2011/16030 dated 3/2/2026]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2026

S.O. 2018(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said for Execution Case of Krishan Lal Baliyaliwala Charity Trust V/s State of Haryana through its collector (EXE/160/2025) for Acquisition of land on NH-709A measuring 4 Kanal 15.5 Marlas in Village Bhiwani Lohar, District Bhiwani in compliance with the judgement/Decree dated 06.02.2025 in civil appeal No. 336 of 2018 titled Krishan lal Baliyaliwala charity Trust and another V/s State of HARYANA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH 709 A in the State of HARYANA.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	District Revenue officer(DRO)	NH 709 A KM 2.35 TO KM 3.93	HARYANA	BHIWANI	Bhiwani	1 Bhiwani Lohar

[F. No. H.O letter no. 153-NH-2011/16030 dated 3/2/2026]

SHAIKH AMINKHAN, Director